



शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओडिशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल- registrarsnpv@gmail.com, वेबासईट- www.snpv.ac.in

क्रमांक. 2-3-1-4-1/ अंग्रेजी / 2021 / 459

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

// अधिसूचना //

—00—

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (2) की कंडिका (एक) से (पाँच) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के कला संकाय के अंतर्गत अंग्रेजी अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है -

- धारा 28 (2) (एक) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (दो) 1. डॉ. सी.सी. मिश्रा, प्राध्यापक, शास.किरोड़ीमल कला एवं विज्ञान महा. जिला-रायगढ़
2. श्री मनीराम बंजारे, सहा.प्राध्यापक, शास. टी.सी.एल.स्नातकोत्तर महा. जिला-जाँजगीर चाँपा
- धारा 28 (2) (तीन) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (चार) 1. श्री बी.के. पटेल, सहा.प्राध्यापक, शास. नवीन महा.नवागढ़ जिला- जाँजगीर चाँपा
2. डॉ. यू.एन. कुर्रे, सहा.प्राध्यापक, शास. क्रांति कुमार भारतीय महा. सक्ती जिला- जाँजगीर चाँपा
- धारा 28 (2) (पाँच) 1. डॉ. हरप्रीत कौर, सहा.प्राध्यापक, शास. जाज्वल्यदेव नवीन कन्या महा. जिला- जाँजगीर चाँपा
2. श्रीमती हेमकुमारी पटेल, सहा.प्राध्यापक, शास. पी.डी. महाविद्यालय जिला-रायगढ़

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा डॉ. सी.सी. मिश्रा, को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार

(कृष्ण कुमार चंद्राकर)
कुलसचिव

पृ.क्र. 2-3-1-4-1/ अंग्रेजी / 2021 / 460

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

प्रतिलिपि:-

01. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
03. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
04. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
05. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
06. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जाँजगीर चाँपा को सूचनार्थ।
07. संबंधित सदस्य को सूचनार्थ।

कुलसचिव (अकादमी)
26.07.2021



शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)
गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल- registrarsnpv@gmail.com, वेबासईट- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक. 2-3-1-4-2/संस्कृत/2021/461

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

// अधिसूचना //

--00--


छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (2) की कंडिका (एक) से (पाँच) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के कला संकाय के अंतर्गत संस्कृत अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है -

- | | | |
|--------------------|----|--|
| धारा 28 (2) (एक) | 1. | रिक्त |
| धारा 28 (2) (दो) | 1. | श्रीमती उत्तरा निराला, सहा. प्राध्यापक, शास. लक्ष्मणेश्वर महा. खरौदा जिला-जाँजगीर चाँपा |
| | 2. | श्री अमितधर दुबे, सहा. प्राध्यापक, किरोड़ीमल शास. कला एवं विज्ञान महा. जिला-रायगढ़ |
| धारा 28 (2) (तीन) | 1. | रिक्त |
| धारा 28 (2) (चार) | 1. | प्रो. धनेश्वरी पटेल, सहा. प्राध्यापक, शास. टी.सी.एल.स्नातकोत्तर महा. जिला-जाँजगीर चाँपा |
| | 2. | रिक्त |
| धारा 28 (2) (पाँच) | 1. | श्री राम कुमार सिंह कंवर, सहा. प्राध्यापक, शास. लक्ष्मणेश्वर महा. खरौदा जिला-जाँजगीर चाँपा |
| | 2. | रिक्त |

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा श्रीमती उत्तरा निराला, को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार



(कृष्ण कुमार चंद्राकर)
कुलसचिव

पृ.क्र. 2-3-1-4-2/संस्कृत/2021/462

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

प्रतिलिपि:-

01. माननीय कुलाधिपति महोदय को सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
03. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
04. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
05. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
06. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जाँजगीर चाँपा को सूचनार्थ।
07. संबंधित सदस्य को सूचनार्थ।


26/07/2021
उप-कुलसचिव (अकादमी)



शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओडिशा रोड, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल- registrarsnpv@gmail.com, वेबसाइट- www.snpv.ac.in

क्रमांक. 2-3-1-4-3/ हिन्दी / 2021 / 463

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

// अधिसूचना //

—00—

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (2) की कंडिका (एक) से (पाँच) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के कला संकाय के अंतर्गत हिन्दी अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है -

- धारा 28 (2) (एक) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (दो) 1. डॉ. मीनकेतन प्रधान, प्राध्यापक, शास. किरोड़ीमल कला एवं विज्ञान महा. जिला-रायगढ़
2. डॉ. एम.एल. पाटले, सहा.प्राध्यापक, शास. टी.सी.एल स्नातकोत्तर महा. जिला- जाँजगीर चाँपा
- धारा 28 (2) (तीन) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (चार) 1. डॉ. डी.एस. ठाकुर, सहा.प्राध्यापक, शास. महा. पामगढ़ जिला- जाँजगीर चाँपा
2. श्री भागीरथी महिपाल, सहा.प्राध्यापक, शास.एम.एम.आर. महा. जिला- जाँजगीर चाँपा
- धारा 28 (2) (पाँच) 1. डॉ. देवेन्द्र शुक्ला, सहा.प्राध्यापक, जवाहर लाल नेहरू महा. सक्ति जिला- जाँजगीर चाँपा
2. श्री दिनेश प्रताप सिंह पैकरा, सहा.प्राध्यापक, शास. लोचन प्रसाद पाण्डेय महा. सारंगढ़ जिला-रायगढ़

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा डॉ. मीनकेतन प्रधान, को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार

(कृष्ण कुमार चंद्राकर)
कुलसचिव

पु.क्र. 2-3-1-4-3/ हिन्दी / 2021 / 464
प्रतिलिपि:-

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

08. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
09. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
10. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
11. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
12. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
13. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जाँजगीर चाँपा को सूचनार्थ।
14. संबंधित सदस्य को सूचनार्थ।

26.07.2021
उप-कुलसचिव (अकादमी)



शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)
गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल- registrarsnpv@gmail.com, वेबासईट- www.snpv.ac.in

क्रमांक. 2-3-2-4-1/ इतिहास / 2021 / 465

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

// अधिसूचना //

—00—


छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (2) की कंडिका (एक) से (पाँच) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है -

- धारा 28 (2) (एक) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (दो) 1. श्री एम.एल.धीरही, सहा.प्राध्यापक, शास. महात्मा गाँधी महा. खरसिया, जिला- रायगढ़
2. श्री आर.के.पाण्डेय, सहा.प्राध्यापक, शास.टी.सी.एल.स्नातकोत्तर महा.जिला- जाँजगीर चाँपा
- धारा 28 (2) (तीन) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (चार) 1. श्री एम.आर.मैत्री, सहा.प्राध्यापक, शास. महाविद्यालय डभरा, जिला- जाँजगीर चाँपा
2. श्री सिकंदर कुजुर, सहा.प्राध्यापक, शास. किरोड़ीमल महा. जिला-रायगढ़
- धारा 28 (2) (पाँच) 1. डॉ. डी.एन.बंजारे, सहा.प्राध्यापक, शास.एम.एम.आर. महाविद्यालय जिला-जाँजगीर चाँपा
2. डॉ. रंजीत बारिक, सहा.प्राध्यापक, शास.के.एम.टी.कन्या महा. जिला-रायगढ़

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा श्री रमाकांत पाण्डेय, को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार



(कृष्ण कुमार चंद्राकर)
कुलसचिव

पृ.क्रं. 2-3-2-4-1/ इतिहास / 2021 / 466

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

प्रतिलिपि:-

01. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
03. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
04. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
05. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
06. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जाँजगीर चाँपा को सूचनार्थ।
07. संबंधित सदस्य को सूचनार्थ।


उप-कुलसचिव (अकादमी)



शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल- registrarsnpv@gmail.com, वेबासईट- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक. 2-3-2-4-3/राजनीति विज्ञान/2021/467

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

// अधिसूचना //

—00—

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (2) की कंडिका (एक) से (पाँच) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के समाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत राजनीति विज्ञान अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है -

- धारा 28 (2) (एक) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (दो) 1. डॉ. अंबिका प्रसाद वर्मा, सहा.प्राध्यापक, शास.टी.सी.एल.स्नातकोत्तर महा. जिला-जाँजगीर चाँपा
2. डॉ. श्रीमती शालू पाहवा, सहा.प्राध्यापक, जे.एल.एन.महाविद्यालय सक्ति जिला-रायगढ़
- धारा 28 (2) (तीन) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (चार) 1. डॉ. पी.बी. बैस, प्राध्यापक, किरोड़ीमल शास. कला एवं विज्ञान महा. जिला-रायगढ़
2. डॉ. सुषमा तिवारी, प्राध्यापक, के.एम.टी. महाविद्यालय जिला-रायगढ़
- धारा 28 (2) (पाँच) 1. डॉ. मनोहरलाल पटेल, प्राध्यापक, विष्णुचरण गुप्ता शास.महा.पुसौर जिला-रायगढ़
2. श्री असीम बाजपेयी, सहा.प्राध्यापक, शास. नवीन महाविद्यालय हसौद जिला जाँजगीर चाँपा

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा डॉ. अंबिका प्रसाद वर्मा, को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार



(कृष्ण कुमार चंद्राकर)
कुलसचिव

पृ.क्र. 2-3-2-4-3/राजनीति विज्ञान/2021/468

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

प्रतिलिपि:-

01. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
03. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
04. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
05. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
06. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जाँजगीर चाँपा को सूचनार्थ।
07. संबंधित सदस्य को सूचनार्थ।


उप-कुलसचिव (अकादमी)



शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल- registrarsnpv@gmail.com, वेबासईट- www.snpv.ac.in

क्रमांक. 2-3-2-4-4/अर्थशास्त्र /2021/469

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

// अधिसूचना //

—00—

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (2) की कंडिका (एक) से (पाँच) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत अर्थशास्त्र अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है -

- धारा 28 (2) (एक) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (दो) 1. डॉ. ए.के. मेहर, प्राध्यापक, शास.किरोड़ीमल कला एवं विज्ञान महा. जिला-रायगढ़
2. डॉ. एस.पी. भारद्वाज, सहा.प्राध्यापक, शास. एम.एम.आर महा. जिला- जाँजगीर चाँपा
- धारा 28 (2) (तीन) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (चार) 1. डॉ. जसमिन्दर सिंह विरदी, सहा.प्राध्यापक, शास. शहीद वीर नारायण महा. जोबी-बर्ग
जिला-रायगढ़
2. कु. इमिलियाना लकड़ा, सहा.प्राध्यापक, शास. के.एम.टी. कन्या महाविद्यालय, जिला-रायगढ़
- धारा 28 (2) (पाँच) 1. डॉ. सी.बी. खूटे, सहा.प्राध्यापक, शास. लक्ष्मणेश्वर महाविद्यालय, खरौद जिला- जाँजगीर चाँपा
2. श्रीमती उमानांदिनी जायसवाल, सहा.प्राध्यापक, शास. वेदराम महा. मालखरौदा जिला- जाँजगीर चाँपा

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा डॉ. ए.के. मेहर, को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार



(कृष्ण कुमार चंद्राकर)
कुलसचिव

पृ.क्रं. 2-3-2-4-4/अर्थशास्त्र /2021/470

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

प्रतिलिपि:-

01. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
03. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
04. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
05. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
06. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जाँजगीर चाँपा को सूचनार्थ।
07. संबंधित सदस्य को सूचनार्थ।


26.07.2021
कुलसचिव (अकादमी)



शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल- registrarsnpv@gmail.com, वेबासईट- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक 2-3-2-4-5 / समाज शास्त्र / 2021 / 471

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

// अधिसूचना //

—00—

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (2) की कंडिका (एक) से (पाँच) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के समाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत समाज शास्त्र अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है - विज्ञान

- धारा 28 (2) (एक) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (दो) 1. श्री सुब्रत चौबे, सहा.प्राध्यापक, शास. पी.डी. वाणिज्य प्रबंधन एवं कला महा. जिला-रायगढ़
2. डॉ. कु. किरण मेहर, सहा.प्राध्यापक, किरोड़ीमल शास. कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, जिला-रायगढ़
- धारा 28 (2) (तीन) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (चार) 1. श्री एस.एल. सोनवानी, प्राध्यापक, शास. नवीन महा. बरमकेला जिला-रायगढ़
2. डॉ. के.पी. कुर्रे, प्राध्यापक, शास. टी.सी.एल.स्नातकोत्तर महाविद्यालय जिला-जाँजगीर चाँपा
- धारा 28 (2) (पाँच) 1. डॉ.सुशील कुमार एक्का, प्राध्यापक, शास.पालूराम धनानिया वाणिज्य एवं कला महा. जिला-रायगढ़
2. डॉ. जी.आर. भारती, सहा.प्राध्यापक, शास. वेदराम महाविद्यालय मालखरौदा जिला-जाँजगीर चाँपा

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा श्री सुब्रत चौबे, को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार

(कृष्ण कुमार चंद्राकर)
कुलसचिव

पृ.क्रं. 2-3-2-4-5 / समाज शास्त्र / 2021 / 472
प्रतिलिपि:-

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

01. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
03. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
04. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
05. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
06. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जाँजगीर चाँपा को सूचनार्थ।
07. संबंधित सदस्य को सूचनार्थ।

26.07.2021
कुलसचिव (अकादमी)



शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)
गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल- registrarsnpv@gmail.com, वेबासईट- www.snpv.ac.in

क्रमांक. 2-3-2-4-8/गृह विज्ञान /2021/473

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

// अधिसूचना //

—00—

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (2) की कंडिका (एक) से (पाँच) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान संकाय के अंतर्गत गृह विज्ञान अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है -

धारा 28 (2) (एक)	1.	रिक्त
धारा 28 (2) (दो)	1.	रिक्त
	2.	रिक्त
धारा 28 (2) (तीन)	1.	रिक्त
धारा 28 (2) (चार)	1.	श्रीमती नयनमणी गार्डिया, सहा.प्राध्यापक, शास. के.एम.टी.कन्या महा. जिला-रायगढ़
	2.	रिक्त
धारा 28 (2) (पाँच)	1.	रिक्त
	2.	रिक्त

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा श्रीमती नयनमणी गार्डिया, को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार

(कृष्ण कुमार चंद्राकर)
कुलसचिव

पृ.क्र. 2-3-2-4-8/गृह विज्ञान/2021/474

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

प्रतिलिपि:-

01. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
03. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
04. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
05. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
06. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जाँजगीर चॉपा को सूचनार्थ।
07. संबंधित सदस्य को सूचनार्थ।

कुलसचिव (अकादमी)

26.07.21



शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)
गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल- registrarsnpv@gmail.com, वेबासईट- www.snpv.ac.in

क्रमांक. 2-3-3-4-1 / भौतिक / 2021 / 475

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

// अधिसूचना //

—00—

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (2) की कंडिका (एक) से (पाँच) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के अंतर्गत भौतिक अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है -

- धारा 28 (2) (एक) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (दो) 1. डॉ. ए.के.पाणिग्रही, प्राध्यापक, शास.किरोडीमल कला एवं विज्ञान महा. जिला-रायगढ़
2. श्रीमति रश्मि शर्मा, सहा.प्राध्यापक, शास.टी.सी.एल.स्नातकोत्तर महा. जिला- जाँजगीर चाँपा
- धारा 28 (2) (तीन) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (चार) 1. श्री उपेन्द्र कुमार वर्मा, सहा.प्राध्यापक, शास.डॉ.इंद्रजीत सिंह महा. अकलतरा जिला-जाँजगीर चाँपा
2. श्री के.एक्का सहा.प्राध्यापक, शास. महात्मा गांधी महा. खरसिया जिला-रायगढ़
- धारा 28 (2) (पाँच) 1. श्री आर. पी. उपाध्याय, सहा.प्राध्यापक, शास. नवीन महा. हसौद जिला- जाँजगीर चाँपा
2. श्री शशीकान्त राठौर, सहा.प्राध्यापक, शास. नवीन महा. बलौदा जिला- जाँजगीर चाँपा

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा श्री अनिल कुमार पाणिग्रही, को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार

(कृष्ण कुमार चंद्राकर)
कुलसचिव

पृ.क्र. 2-3-3-4-1 / भौतिक / 2021 / 476
प्रतिलिपि:-

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

01. माननीय कुलाधिपति महोदय को सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
03. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
04. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
05. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
06. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जाँजगीर चाँपा को सूचनार्थ।
07. संबंधित सदस्य को सूचनार्थ।

26.07.2021
उप-कुलसचिव (अकादमी)



शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल- registrarsnpv@gmail.com, वेबासईट- www.snpv.ac.in

क्रमांक. 2-3-3-4-2/रसायन/2021/477

रायगढ़, दिनांक 26. 07.2021

// अधिसूचना //

—00—

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (2) की कंडिका (एक) से (पाँच) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के अंतर्गत रसायन अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है -

- धारा 28 (2) (एक) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (दो) 1. श्री बंशीधर दीवान, सहा.प्राध्यापक, शास. एम.एम.आर. महा. जिला- जाँजगीर चाँपा
2. डॉ. के.के. मिश्र, सहा.प्राध्यापक, शास. टी.सी.एल.स्नातकोत्तर महा. जिला- जाँजगीर चाँपा
- धारा 28 (2) (तीन) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (चार) 1. डॉ. धनेश सिंह, सहा.प्राध्यापक, शास. किरोड़ीमल कला एवं विज्ञान महा. जिला-रायगढ़
2. श्रीमती वंदना राठौर, सहा.प्राध्यापक, शास. डॉ. इंद्रजीत सिंह महा. अकलतरा जिला- जाँजगीर चाँपा
- धारा 28 (2) (पाँच) 1. डॉ. पी.के. सिंह, सहा.प्राध्यापक, शास. टी.सी.एल. स्नातकोत्तर महा. जिला- जाँजगीर चाँपा
2. श्री सरोज कुमार, सहा.प्राध्यापक, शास. किरोड़ीमल कला एवं विज्ञान महा. जिला-रायगढ़

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा श्री बंशीधर दीवान, को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार

(कृष्ण कुमार चंद्राकर)
कुलसचिव

पृ.क्र. 2-3-3-4-2/रसायन/2021/478
प्रतिलिपि:-

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

01. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
03. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
04. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
05. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
06. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जाँजगीर चाँपा को सूचनार्थ।
07. संबंधित सदस्य को सूचनार्थ।

सम-कुलसचिव (अकादमी)

26/07/2021



शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल- registrarsnpv@gmail.com, वेबसाईट- www.snpv.ac.in

क्रमांक. 2-3-3-4-3/गणित/2021/479

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

// अधिसूचना //

—00—


छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (2) की कंडिका (एक) से (पाँच) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के अंतर्गत गणित विषय अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है -

- धारा 28 (2) (एक) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (दो) 1. श्री आर. आर. साहू, सहा.प्राध्यापक, शास. एम.एम.आर महा. जिला-जाँजगीर चाँपा
2. डॉ. एस.एन. गुप्ता, सहा.प्राध्यापक, किरोड़ीमल शास. कला एवं विज्ञान महा. जिला-रायगढ़
- धारा 28 (2) (तीन) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (चार) 1. श्री रामलखन पाण्डेय, सहा.प्राध्यापक, शास. नवीन महा. बलौदा, जिला-जाँजगीर चाँपा
2. डॉ. सी.एस.राठौर, सहा.प्राध्यापक, शास. जाज्वल्यदेव नवीन कन्या महा. जिला-जाँजगीर चाँपा
- धारा 28 (2) (पाँच) 1. श्रीमती सुरेखा देवांगन, सहा.प्राध्यापक, शास.डॉ. इंद्रजीत सिंह महा. अकलतरा जिला-जाँजगीर चाँपा
2. श्री आर.जी.खूटे, सहा.प्राध्यापक, टी.सी.एल.स्नातकोत्तर महा. जिला-जाँजगीर चाँपा

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा श्री आर.आर.साहू को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए होगा।


आदेशानुसार


(कृष्ण कुमार चंद्राकर)
कुलसचिव

पृ.क्रं 2-3-3-4-3/गणित/2021/480
प्रतिलिपि:-

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

01. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
03. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
04. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
05. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
06. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जाँजगीर चाँपा को सूचनार्थ।
07. संबंधित सदस्य को सूचनार्थ।


26.07.2021
कुलसचिव (अकादमी)



शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल- registrarsnpv@gmail.com, वेबासईट- www.snpv.ac.in

क्रमांक. 2-3-3-4-8 / भूगोल / 2021 / 481

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

// अधिसूचना //


—00—

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (2) की कंडिका (एक) से (पाँच) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत भूगोल अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है -

- धारा 28 (2) (एक) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (दो) 1. डॉ. श्रीमती अल्का मनोहर छड़ीमली, सहा. प्राध्यापक, शास. किरोड़ीमल महा. जिला-रायगढ़
2. डॉ. सी.पी.नंद, सहा.प्राध्यापक, शास. जाज्वल्यदेव नवीन कन्या महा. जिला- जाँजगीर चाँपा
- धारा 28 (2) (तीन) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (चार) 1. श्रीमती आभा बेक, सहा.प्राध्यापक, शास. नवीन महा. बलौदा जिला- जाँजगीर चाँपा
2. सुश्री जीनत पैकरा, सहा.प्राध्यापक, शास. नवीन महा. हसौद जिला- जाँजगीर चाँपा
- धारा 28 (2) (पाँच) 1. श्रीमती सोफिया अम्ब्रेला, सहा.प्राध्यापक, शास. किरोड़ीमल महा. जिला-रायगढ़
2. श्रीमती प्रमिला साहू, सहा.प्राध्यापक, शास. संत गहिरा गुरु रामेश्वर महा. लैलूंगा जिला-रायगढ़

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा डॉ. श्रीमती अल्का मनोहर छड़ीमली, को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है। अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार


(कृष्ण कुमार चंद्राकर)
कुलसचिव

पृ.क्र. 2-3-3-4-8 / भूगोल / 2021 / 482
प्रतिलिपि:-

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

01. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
03. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
04. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
05. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
06. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जाँजगीर चाँपा को सूचनार्थ।
07. संबंधित सदस्य को सूचनार्थ।


उप-कुलसचिव (अकादमी)



शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)
गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल- registrarsnpv@gmail.com, वेबसाइट- www.snpv.ac.in

क्रमांक. 2-3-4-4-1/विधि/2021/483

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

// अधिसूचना //

--00--

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (2) की कंडिका (एक) से (पाँच) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के विधि संकाय के अंतर्गत विधि अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है -

धारा 28 (2) (एक) 1. रिक्त

धारा 28 (2) (दो) 1. डॉ. आभा सिन्हा, सहा.प्राध्यापक, शास.टी.सी.एल स्नातकोत्तर महा. जिला-जाँजगीर चाँपा
2. रिक्त

धारा 28 (2) (तीन) 1. रिक्त

धारा 28 (2) (चार) 1. डॉ. भवानी प्रसाद यादव, सहा.प्राध्यापक, शास.पालूराम धनानिया वाणिज्य एवं कला महाविद्यालय
जिला-रायगढ़

2. डॉ. डी.के. मिश्रा, सहा.प्राध्यापक, एस.बी.के.पी.लॉ. महाविद्यालय जिला-रायगढ़


धारा 28 (2) (पाँच) 1. श्री जी.एन.सिंह, शास.टी.सी.एल. स्नातकोत्तर महाविद्यालय जिला-जाँजगीर चाँपा

2. श्री प्रदीप शर्मा, सहा.प्राध्यापक, शास.पी.डी. महाविद्यालय जिला-रायगढ़

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा डॉ. श्रीमती आभा सिन्हा, को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार


(कृष्ण कुमार चंद्राकर)
कुलसचिव


पृ.क्रं. 2-3-4-4-1/विधि/2021/484

प्रतिलिपि:-

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

01. माननीय कुलाधिपति महोदय को सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
03. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
04. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
05. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
06. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जाँजगीर चाँपा को सूचनार्थ।
07. संबंधित सदस्य को सूचनार्थ।


उप-कुलसचिव (अकादमी)


26.07.2021



शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)
गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल- registrarsnpv@gmail.com, वेबासईट- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक. 2-3-6-4-1/ वाणिज्य एवं प्रबंधन /2021/485

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

// अधिसूचना //

—00—

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (2) की कंडिका (एक) से (पाँच) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय के अंतर्गत वाणिज्य एवं प्रबंधन अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है -

- धारा 28 (2) (एक) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (दो) 1. प्रो. के.सी. कछवाहा, सहा. प्राध्यापक, के.एम.टी. शास. कन्या महा. जिला-रायगढ़
2. डॉ. व्ही.एम. दाण्डेकर, सहा.प्राध्यापक, शास. एम.एम.आर महा. जिला- जाँजगीर चाँपा
- धारा 28 (2) (तीन) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (चार) 1. प्रो. जे.पी. साहू, सहा.प्राध्यापक, डॉ. भीमराव अंबेडकर महा.पामगढ़ जिला- जाँजगीर चाँपा
2. श्री विष्णु कुमार वर्मा, सहा.प्राध्यापक, शास. इंद्रजीत सिंह महा. अकलतरा जिला-जाँजगीर चाँपा
- धारा 28 (2) (पाँच) 1. डॉ. आनंद कुमार शर्मा, सहा.प्राध्यापक, किरोड़ीमल शास. कला एवं विज्ञान महा. जिला-रायगढ़
2. डॉ. बी.के. पटेल, सहा.प्राध्यापक, शास. पी.डी. महा. जिला-रायगढ़

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रो.के.सी. कछवाहा, को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार

(कृष्ण कुमार चंद्राकर)
कुलसचिव

पृ.क्रं. 2-3-6-4-1/ वाणिज्य एवं प्रबंधन /2021/486
प्रतिलिपि:-

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

01. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
03. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
04. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
05. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
06. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जाँजगीर चाँपा को सूचनार्थ।
07. संबंधित सदस्य को सूचनार्थ।

26/07/2021
रूप-कुलसचिव (अकादमी)



शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल- registrarsnpv@gmail.com, वेबासईट- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक. 2-3-10-4-1/वनस्पतिशास्त्र/2021/487

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

// अधिसूचना //

—00—

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (2) की कंडिका (एक) से (पाँच) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के जीवन विज्ञान संकाय के अंतर्गत वनस्पतिशास्त्र अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है -

- धारा 28 (2) (एक) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (दो) 1. डॉ. अशोक कुमार भारती, सहा.प्राध्यापक, शास.किरोड़ीमल कला एवं विज्ञान महा. जिला-रायगढ़
2. प्रो. कंचनलता सिंह, सहा.प्राध्यापक, शास.टी.सी.एल.स्नातकोत्तर महा. जिला- जाँजगीर चाँपा
- धारा 28 (2) (तीन) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (चार) 1. श्रीमती राजलक्ष्मी सराफ, सहा.प्राध्यापक, शास.एम.एम.आर. महा. जिला- जाँजगीर चाँपा
2. श्रीमती शांतिलता मिंज, सहा.प्राध्यापक, जाज्वल्यदेव नवीन कन्या महा. जिला- जाँजगीर चाँपा
- धारा 28 (2) (पाँच) 1. श्री एन.पी. त्यागी, सहा.प्राध्यापक, शास. महाविद्यालय डभरा जिला- जाँजगीर चाँपा
2. श्री अश्वनी कुमार पटेल, सहा.प्राध्यापक, शास.एम.जी. कला एवं विज्ञान महा. खरसिया जिला-रायगढ़

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा डॉ. अशोक कुमार भारती, को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार

(कृष्ण कुमार चंद्राकर)
कुलसचिव

पृ.क्र. 2-3-10-4-1/वनस्पतिशास्त्र/2021/488
प्रतिलिपि:-

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

01. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
03. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
04. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
05. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
06. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जाँजगीर चाँपा को सूचनार्थ।
07. संबंधित सदस्य को सूचनार्थ।

कृष्ण कुमार चंद्राकर (अकादमी)



शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल- registrarsnpv@gmail.com, वेबासईट- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक. 2-3-10-4-5/प्राणीशास्त्र /2021/489

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

// अधिसूचना //

—00—

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (2) की कंडिका (एक) से (पाँच) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के जीवन विज्ञान संकाय के अंतर्गत प्राणीशास्त्र अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है -

- धारा 28 (2) (एक) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (दो) 1. डॉ. आर.के. तम्बोली, सहा. प्राध्यापक, शास. किरोड़ीमल कला एवं विज्ञान महा. रायगढ़
2. श्रीमती रेखा कश्यप, सहा. प्राध्यापक, शास. टी.सी.एल.स्नातकोत्तर महा. जिला- जाँजगीर चाँपा
- धारा 28 (2) (तीन) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (चार) 1. सुश्री श्वेता श्रीवास्तव, सहा. प्राध्यापक, शास. नवीन महा. बलौदा जिला- जाँजगीर चाँपा
2. श्रीमती सरला जोगी, सहा. प्राध्यापक, शास. एम.जी. महा. खरसिया जिला- रायगढ़
- धारा 28 (2) (पाँच) 1. डॉ. व्ही.एम. अग्रवाल, सहा. प्राध्यापक, शास. एम.एम.आर. महा. जिला- जाँजगीर चाँपा
2. श्रीमती रंजना साहू, सहा. प्राध्यापक, शास. महाविद्यालय घरघोड़ा जिला-रायगढ़

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा डॉ. आर.के. तम्बोली, को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार

(कृष्ण कुमार चंद्राकर)
कुलसचिव

पृ.क्र. 2-3-10-4-5/प्राणीशास्त्र /2021/490
प्रतिलिपि:-

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

01. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
03. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
04. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
05. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
06. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जाँजगीर चाँपा को सूचनार्थ।
07. संबंधित सदस्य को सूचनार्थ।

26/07/2021
उप-कुलसचिव (अकादमी)



शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल- registrarsnpv@gmail.com, वेबासईट- www.snpv.ac.in

क्रमांक. 2-3-10-4-7 / माइक्रोबायोलॉजी / 2021 / 491

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

// अधिसूचना //

—00—

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (2) की कंडिका (एक) से (पाँच) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के जीवन विज्ञान संकाय के अंतर्गत माइक्रोबायोलॉजी अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है -

- धारा 28 (2) (एक) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (दो) 1. डॉ. के.के.पटेल, सहा.प्राध्यापक, शास टी.सी.एल स्नातकोत्तर महा. जिला-जाँजगीर चाँपा
2. रिक्त
- धारा 28 (2) (तीन) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (चार) 1. श्रीमती प्रतिभा सिंह चंदेल, सहा.प्राध्यापक शास. जाज्वल्यदेव नवीन कन्या महा. जिला-जाँजगीर चाँपा
2. रिक्त
- धारा 28 (2) (पाँच) 1. रिक्त
2. रिक्त

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा डॉ. के.के.पटेल, को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार

(कृष्ण कुमार चंद्राकर)
कुलसचिव

पृ.क्रं 2-3-10-4-7 / माइक्रोबायोलॉजी / 2021 / 492
प्रतिलिपि:-

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

01. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
03. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
04. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
05. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
06. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जाँजगीर चाँपा को सूचनार्थ।
07. संबंधित सदस्य को सूचनार्थ।

कुलसचिव (अकादमी)

26.07.2021



शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल- registrarsnpv@gmail.com, वेबासईट- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक. 2-3-3-4-18 / कम्प्यूटर साइंस / 2021 / 495

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

// अधिसूचना //

--00--

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (2) की कंडिका (एक) से (पाँच) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के कम्प्यूटर साइंस संकाय के अंतर्गत कम्प्यूटर साइंस अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है -

धारा 28 (2) (एक)	1.	रिक्त
धारा 28 (2) (दो)	1.	रिक्त
	2.	रिक्त
धारा 28 (2) (तीन)	1.	रिक्त
धारा 28 (2) (चार)	1.	डॉ. विक्रान्त गुप्ता, सहा.प्राध्यापक, बटमूल आश्रम महाविद्यालय जिला-रायगढ़
	2.	श्री अरूण पाण्डेय, सहा.प्राध्यापक, उत्तम मेमोरियल महाविद्यालय जिला-रायगढ़
धारा 28 (2) (पाँच)	1.	श्री मयंक त्रिपाठी, सहा.प्राध्यापक, डॉ. भवर सिंह पोर्ते नवीन अशास.महा.घरघोड़ा जिला-रायगढ़
	2.	रिक्त

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा डॉ. विक्रान्त गुप्ता, को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार

(कृष्ण कुमार चंद्राकर)
कुलसचिव

पृ.क्र. 2-3-3-4-18 / कम्प्यूटर साइंस / 2021 / 496
प्रतिलिपि:-

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

01. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
03. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
04. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
05. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
06. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जॉजगीर चाँपा को सूचनार्थ।
07. संबंधित सदस्य को सूचनार्थ।

26.07.2021
उप-कुलसचिव (अकादमी)